भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

केन्द्रीय कमेटी

प्रेस विज्ञप्ति

28 अगस्त 2014

वरिष्ठ माओवादी नेता कॉमरेड कोबाड गांधी को हैरान-परेशान करना तुरंत बंद करो!
वरिष्ठ नागरिक माओवादी राजनीतिक बंदियों को बेशर्त रिहा करो!

17 सितम्बर 2009 को आंध्र प्रदेश और दिल्ली पुलिस व खुफिया विभाग ने मिलकर वरिष्ठ कॉमरेड कोबाड गांधी को दिल्ली के एक सार्वजनिक स्थान से अपहरण कर गैरकानूनी हिरासत में पूछताछ के नाम पर तीन दिन तक तीव्र मानसिक और शारीरिक यातनाएं दिये। मनावाधिकार और जनवादी संगठनों के कड़े विरोध के बाद उन्हें 21 सितम्बर को कोर्ट में पेश किया गया। उस समय के गृहमंत्री चिदम्बरम ने बेशर्मी से झूठा घोषणा किया कि उन्हें 20 सितम्बर के रात को गिरफ्तार कर '24 घंटे के अंदर' 21 तारीख को ही कोर्ट में पेश किया गया था। जिंदगी खतरे में डालनेवाली बीमारियों से ग्रसित कामरेड कोबाड गांधी के गिरफ्तारी के बाद अनेक दिनों तक अमानवीय ढंग से इलाज और दवाईयों से वंचित रखा गया।

इस तरह से उनकी गैरकानूनी गिरफ्तारी और जेल में रखने के पांच साल गुजरने के बाद भी उनको राज्य जमानत नहीं दे रही है और झूठे मुकदमें लगाकर ज्यादा समय जेल में रख रही है। कॉमरेड कोबाड गांधी का उम्र 69 साल है। वे गंभीर हृद्य रोग, आंत की बीमारी, रीड़ की हड्डी की दर्द, बी.पी. और प्रोस्टेट के मरीज हैं। उनके उम्र और गंभीर बीमारियों की हालत और बारम्बार अनुरोध को दरकिनार करते हुए केन्द्र व राज्य के खुफिया विभाग, पुलिस व जेल अधिकारी और न्यायालय उनकी तकलीफों की अनदेखी कर रहे है और कानून के मुताबिक मिलनेवाले सुविधाओं के लिए किए गये उनके मांगों को भी ठुकरा रहे हैं। यह उनके तबियत को बिगाड़ने की षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। उनके बहन द्वारा दिये गये स्वास्थ्य उपकरणों, लिखने-पढ़ने के लिए कुर्सी-टेबुल, पेड जेसे लेखन सामग्री, बिस्तर और किताबों के लिए भी उन्हें काफी लड़ाई करना पड़ा, और इसे भी जेल अधिकारियों ने बहुत ज्यादा छानबीन के बाद ही उपलब्ध करवाया।

फरवरी 2013 को तिहार जेल में अफजल गुरू को फांसी दिए जाने के बाद, जो भारत की न्यायव्यवस्था पर ही एक दाग है, बंदियों के कड़े विरोध के बावजूद सभी बंदियों को हाई-रिस्क वार्ड नम्बर 3 (तिहाड़ जेल, दिल्ली) से बदली किया गया। कॉमरेड कोबाड के तीव्र विरोध के बावजूद उन्हें बलपूर्वक ढंग से जेल नम्बर 1 में बदली किया गया। इसके अतिरिक्त, एक इतने उम्रदराज और बीमार व्यक्ति को जेल अधिकारियों ने क्रूरता से अपना सामान खुद ढोने के लिए मजबूर किया और उन्हें कोई मदद नहीं पहुंचाया। इस कारण से उन्हें कई हफ्तों तक बिस्तर में ही रहना पड़ा। रोजमर्रा की जरूरी कामों, जैसे बकेट में पानी लाना, बैठकर कपड़ा धोना आदि काम करने में बेहद मुश्किलों का सामना करने के बावजूद कॉमरेड कोबाड को जेल अधिकारियों के तरफ से कोई सहायता नहीं दी गयी।

उन्हें एक जेल से दूसरे जेल में बदली करने के बाद हर बार उन्हें मामूली सुविधाओं और सहुलियतों के लिए भी अर्जी की प्रक्रिया फिर से शुरू करना पड़ता है, जिससे पहले से मिल रही कुछ सुविधाएं फिर से दी जाती हैं तो कुछ अन्य रोक दिये जाते हैं। तिहार जेल के वरिष्ठ नागरिक वार्ड में रखे जाने की उनकी मांग को पूरा करने के बजाए उन्हें जुलाई 2014 में जेल नम्बर 2 में फिर बदली किया गया। उन्होने साफ तौर पर कहा कि इस तरह

की बदलियों से उनकी तबियत और भी बिगड़ जाएगी, लेकिन इसके बावजूद उनकी बदली की गयी। उनके पास आमरण अनशन के अलावा विरोध का और कोई चारा नहीं था। इसी बीच 16 जुलाई को उन्हें बलपूर्वक स्ट्रेचर मे डालकर जेल नम्बर 2 में बदली किया गया।

जिस तरह भाकपा(माओवादी) के पोलितब्यूरो सदस्य कॉमरेड सुशील राय को 2005 में गिरफ्तारी के बाद पुलिस और जेल अधिकारियों ने षड़यंत्र के तहत सही ढंग से इलाज नहीं करवाकर 18 जून 2014 को मौत के मुह में ढकेल दिया था, इस आलोक में कॉमरेड कोबाड गांधी की हालत पर चिंतित होना स्वाभाविक है। सरकार 50-60-70 साल उम्र के माओवादी नेताओं के साथ क्रूर व अमानवीय व्यवहार कर रही है और उन्हें काल-कोठरी में ही अन्तिम सांस लेने के लिए मजबूर करने की साजिश रच रही है। उन्हें जमानत नहीं दिया जा रहा है, अगर जमानत मिले तो नये मुकादमें लगाये जा रहे है, रिहा होने पर जेल की गेट से ही फिर से गिरफ्तार कर जेल में ठूँस रहे हैं। कॉमरेड्स नारायण सन्याल, भूपेशदा, परेशदा, साहेबदा, चिंतनदा, शीला दीदी, अमित बाग्ची, प्रमोद मिश्र, बच्चा प्रसाद सिंह, चन्द्र शेखर रेड्डी, एल.एस.एन. मुर्ति, पतितपावन हलदार, वाराणसी सुब्रहमण्यम और कई अन्य वरिष्ठ पार्टी नेताओं को उनके बढ़ते उम्र या गम्भीर बिमारियों की परवाह किये बिना और उनसे कोई सहानूभुति न रखते हुए लगातार हैरान-परेशान किया जा रहा हैं। सभी कानुनों को पेड़ो के निचे कुचलते हुए जीएन साईबाबा जेसे 90 प्रतिशत विकलांग बुद्धिजीवी को भी कोई सुविधा उपलब्ध न करवाकर जेल में परेशान किया जा रहा है। इस तरह की परिस्थिति में देशभर की जेलों में केद आम आदिवासी, दलित और महिला बंदियों के साथ क्या व्यवहार हो रहे होंगे उसका हम अच्छी तरह से कल्पना कर सकते हैं। बिना कोई सुविधा और सहुलियत के, पुलिस-जेल अधिकारियों के उत्पीड़न का सामना करते हुए तथा अन्यायपूर्ण न्यायव्यवस्था का शिकार होते हुए ये बंदी सालों-साल जेल के शलाखों के पीछे बीता रहे हैं। इन कठिन परिस्थितियों को सहन नहीं कर सकने के कारण कुछ बंदियों की जेल में ही मौत हो रही हैं।

अमित शाह जेसे हत्यारों को बेकसूर घोषित करने के लिए मोदी सरकार न्यायव्यवस्था को आदेश दे रही है और उन्हें जेड-प्लस सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। इस ढंग से उनके हत्याओं और करतूतों को मान्यता देने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर राजनीतिक बंदियों और आम बंदियों के मामूली मुकदमों को भी पुलिस एसकोर्ट की अभाव आदि बेतूकी बहानों से असीमित समय तक लम्बित किया जा रहा है। बंदियों को कानून के मुताबिक मिलनेवाली सुविधाएं मुहैया नहीं किया जा रहा है और राज्य उनके खिलाफ बदले की भावना से बरताव कर रही है।

भाकपा(माओवादी) की केन्द्रीय कमेटी सभी क्रान्तिकारी, जनवादी व नागरिक अधिकार संगठनों और ताकतों तथा अधिवक्ताओं से अपील करती है कि कॉमरेड कोबाड गांधी को खासकर निशाना बनाकर जेल अधिकारियों के द्वारा उनपर ढाये जा रहे सभी तरह के जुल्मों को बंद करने के लिए एक दृढ़तापूर्ण व एकताबद्ध संघर्ष खड़ा करें और उनकी तत्काल बेशर्त रिहाई की मांग करें। हम तमाम जनता से अपील करते हैं कि सालों-साल जेलों में बंद उपरोक्त वरिष्ठ नागरिक राजनीतिक बंदियों की रिहाई और उनकी राजनीतिक बंदी की मान्यता के अधिकार के लिए बड़े पैमाने पर आन्दोलन तैयार कर सरकार व न्यायव्यवस्था के ऊपर जोरदार दबाव बनायें।

Abhay

(अभय)

प्रवक्ता, केन्द्रीय कमेटी

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)